## प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

युआईडी संख्या: UPFS/2023/91336/FIR/FIROZABAD/988/CFO

दिनांक: 02-08-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स SANT PARAM DAYAL HR. SEC. SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता KHASRA NO-760-1,VILL- GOUNCHH,FIROZABAD तहसील - FIROZABAD, प्लाट एरिया 8020 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 2762.28 (वर्ग

मीटर) ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

1100)			
ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Α	3	0	11.85 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स SANT PARAM DAYAL HR. SEC. SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 04-08-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री VED PRAKASH SHARMA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 05-08-2023 से 04-08-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SANT PARAM DAYAL HR. SEC. SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SANT PARAM DAYAL HR. SEC. SCHOOL अधिभोगी पर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note: भवन के सैट बैक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः-18/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में छूट प्रदान की जाती हैं एवं भवन के पहुँच मार्ग व सेटबैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी से निर्धारण कराया जाना अपेक्षित हैं I भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुए रिकॉर्ड अग्निशमन विभाग को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। भवन के प्रवेश /निकास द्वार को हमेशा अवरोध मुक्त रखा जायें। भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अकार्यशील होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझी जायें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

> हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी) (मख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By (Satyendra Prasad Pandey)

[B6E0E55BC9A48E07B1E7CDA5052B354287871200]

05-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-08-2023 स्थान : FIROZABAD